संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 1,118.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' तथा 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 11 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

सा.क्षे.उ. में निवेश

हरियाणा राज्य में 24 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (22 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और 4 अकार्यरत कंपनियां थी। 31 मार्च 2014 को 28 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,383.18 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.70 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.30 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 21.95 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 78.05 प्रतिशत शामिल था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 6,867.94 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,643.43 करोड़ हो गई। राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 10,748.50 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.3 तथा 1.4)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

24 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे सितंबर 2014 तक प्राप्त किए गए थे, में से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,032.54 करोड़ की हानियां उठाई। एक कंपनी को अभी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हैं। ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाले 15 सा.क्षे.उ. में से केवल दो सा.क्षे.उ. ने ₹ 0.26 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 13 सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

(अनुच्छेद 1.6)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2014 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 35 लेखे बकाया थे। लेखाओं तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.7)

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' और 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' के कार्यचालन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना'

आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल के अधिनियमन की अनिवार्य शर्तों को, वितरण नेटवर्क में प्राइवेट भागीदारी, कृषि उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा लेखाओं का समय पर फाइनल करना, डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने, भाग लेने वाले उधारकर्ताओं के पक्ष में फेजड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बाण्ड लेने की उनकी योजना प्रक्षेपित नहीं की थी यद्यपि स्कीम में अस्थायी आधार पर यह इंगित किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.6 तथा 2.1.7.1 से 2.1.7.4)

कार्यचालन पूंजीगत ऋण हेतु पंजाब एवं सिंध बैंक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) से प्राप्त ₹ 641.16 करोड़ के एस.टी.एल. शामिल न करने के कारण डिस्कोम्ज पर ₹ 71.79 करोड़ के परिहार्य ब्याज का बोझ पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.7.11)

ए.सी.एस.-ए.आर.आर. तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तथा भारत सरकार द्वारा टी.एफ.एम. के अंतर्गत ₹ 199 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध करवाए जा रहे लाभ से वंचित हुए।

(अनुच्छेद 2.1.8)

राज्य सरकार ने अपनी वचनबद्धताएं पूर्ण नहीं की जैसे कि-ए.पी. उपभोक्ताओं पर एफ.एस.ए. के कारण वसूलनीय ₹ 2,115.87 करोड़ की सबसिडी जारी करना, सरकारी विभागों के ₹ 500.42 करोड़ के बकाया विद्युत प्रभार जारी करना, डिस्कोम्ज को एस.टी.एल्ज पर ₹ 1,537.36 करोड़ के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना तथा फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बांड्स ग्रहण करना।

(अनुच्छेद 2.1.7.5, 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

स्कीम के बावजूद 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां ₹ 12,423.61 करोड़ से ₹ 16,185.47 करोड़ तक (जुलाई 2013 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित जींद सर्कल की ₹ 2,291.68 करोड़ की संचित हानियों को छोड़कर) तथा द.ह.बि.वि.नि.लि की ₹ 7,285.53 करोड़ से ₹ 10,726.59 करोड़ तक बढ़ गई।

(अनुच्छेद 2.1.10)

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का कार्यचालन

कंपनी 2009-14 के दौरान प्रमाणित बीजों का लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकी। 2009-14 के दौरान यह कमी 17.27 और 33.29 प्रतिशत के बीच थी।

(अनुच्छेद 2.2.7.6)

कंपनी ने 2012-13 में बिक्री के लिए गेहूं के बीज का 3.07 लाख क्विंटल उत्पादन किया लेकिन राज्य में केवल 1.86 क्विंटल ही बेच सकी और 0.34 लाख क्विंटल लागत से नीचे बेचा गया (राज्य से बाहर) परिणामत: ₹ 1.66 करोड़ की हानि हुई। शेष 0.87 लाख क्विंटल बीज 2013-14 के दौरान ₹ 1.63 करोड़ की हानि पर बेचा गया।

(अनुच्छेद 2.2.7.8)

कंपनी ने, बाजार दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर सरकारी एजेंसियों से एक लाख क्विंटल गेहूं के बीज के क्रय (नवंबर 2010) पर ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

बीजों की लागत परिकलित करते हुए, कंपनी ने, 2009-13 के दौरान किसानों से ₹ 2.58 करोड़ और ₹ 5.52 करोड़ क्रमश: ब्याज और कमीशन के लिए अधिक वसूल किए तथा सह-उत्पादकों को अन्य सरकारी संगठनों से ₹ 2.84 करोड़ का अधिक दाम लेने की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 और 2.2.8.5)

2009-14 के दौरान सीड विलेज स्कीम के अंतर्गत 11.58 लाख किसानों को जोड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध, कंपनी ने 4.03 लाख किसान ही जोड़े। कंपनी ने, स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के आधिक्य में ₹ 2.72 करोड़ का भारत सरकार से दावा किया।

(अनुच्छेद 2.2.9)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 755.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंधों में दोषपूर्ण क्लाजिज तथा लघु अवधि विद्युत क्रय के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि हुई। विद्युत की उपलब्धता में कमियां एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर लघु अवधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद कर पूरी की गई जिसने डिस्कोमस पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

अनुबंधकर्ताओं के खाते में पैसों के गलत जमा तथा उनके अमिलान के कारण ₹ 1.34 करोड़ की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

हरियाणा एग्रो उद्योग निगम लिमिटेड

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण एफ.सी.आई. से किसानों को दिए गए ₹ 10.46 करोड़ के बोनस की अदायगी अभी तक नहीं हुई है तथा बोनस भुगतान करने के लिए प्राप्त ऐसी सी.सी. लिमिट पर ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड

अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सहायता अनुदान के 20 प्रतिशत का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। अधिशेष निधियों/साम्या का प्रबंधन अनुचित था। ब्याज सब्सिडी का संदेहास्पद गबन देखा गया जिसमें 47 भिन्न-भिन्न मामलों से संबंधित ₹ 10.90 लाख एक बैंक खाते में जमा करवाए गए थे।

(अनुच्छेद 3.8)

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड

पांच जिलों में, अपात्र लाभग्राहियों को ₹ 50 लाख की ऋण राशि संस्वीकृत तथा संवितरित की गई। पिछड़े वर्गों के मामले में वसूली की प्रतिशतता 21 एवं 39 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के मामले में 14 एवं 25 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में 29 और 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

(अनुच्छेद 3.9)